

# बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891

(1891 का अधिनियम संख्यांक 18)<sup>1</sup>

[1 अक्टूबर, 1891]

## बैंककार बहियों से संबंधित साक्ष्य विधि के संशोधन के लिए अधिनियम

बैंककार बहियों से संबंधित साक्ष्य विधि का संशोधन करना समीचीन है; अतः एतद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है:—

1. नाम और विस्तार—(1) यह अधिनियम बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार <sup>2</sup>[जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय] सम्पूर्ण भारत पर है। <sup>3\*\*\*</sup>

<sup>3\*</sup> \* \* \* \*

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,—

<sup>4</sup>[(1) “कंपनी” से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में यथापरिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है और उस अधिनियम की धारा 591 के अर्थ में विदेशी कंपनी इसके अंतर्गत है;

(1क) “निगम” से भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, और भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में यथापरिभाषित कोई समनुषंगी बैंक इसके अन्तर्गत है;]

(2) “बैंक” और “बैंककार” से अभिप्रेत है,—

<sup>5</sup>[(क) बैंककारी करने वाली कोई कंपनी या निगम;]

(ख) कोई भागीदारी या व्यष्टि जिसकी बहियों को इस अधिनियम के उपबंध इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रूप से विस्तारित किए गए होंगे;

<sup>6</sup>[(ग) कोई डाकखाना बचत बैंक या मनीआर्डर कार्यालय;]

<sup>7</sup>[(3) “बैंककार बही” के अंतर्गत बही खाते, दैनिक बहियां, रोकड़ बहियां, लेखा बहियां और ऐसे सभी अन्य अभिलेख हैं जो बैंक के मामूली कारबार में प्रयुक्त किए जाते हैं चाहे वे अभिलेख लिखित रूप में रखे जाते हैं या माइक्रोफिल्म, चुंबकीय टेप या किसी अन्य यांत्रिक या इलैक्ट्रॉनिक डाटा पुनःप्राप्ति तंत्र के किसी अन्य रूप में या तो आन-साइट या किसी अन्य आफ-साइट अवस्थिति में, जिसके अंतर्गत दोनों के बैकअप या डिसास्टर रिकवरी साइट है, भंडारित किए जाते हैं;]

<sup>8</sup>[(4) “विधिक कार्यवाही” से अभिप्रेत है,—

(i) कोई ऐसी कार्यवाही या जांच, जिसमें साक्ष्य दिया जाता है या दिया जाए;

(ii) कोई माध्यस्थम्; और

(iii) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन या साक्ष्य के संग्रहण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसा कोई अन्वेषण या जांच, जो किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अथवा किसी मजिस्ट्रेट या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा (जो मजिस्ट्रेट नहीं है) की जाती है;]

<sup>1</sup> इस अधिनियम का विस्तार 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र पर और 1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र पर किया गया है। यह अधिनियम विकास बैंकों के संबंध में इस प्रकार लागू होगा मानो वह इस अधिनियम की धारा 2 में यथा परिभाषित बैंक है, देखिए 1964 के अधिनियम सं० 18 की धारा 33.

<sup>2</sup> 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा “भाग ख राज्यों के सिवाय” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> 1914 के अधिनियम सं० 10 द्वारा उपधारा (2) के अन्त में शब्द “और” तथा उपधारा (3) निरसित।

<sup>4</sup> 1962 के अधिनियम सं० 56 की धारा 4 द्वारा खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>5</sup> 1962 के अधिनियम सं० 56 की धारा 4 द्वारा उपखंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>6</sup> 1983 के अधिनियम सं० 1 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया।

<sup>7</sup> 2002 के अधिनियम सं० 55 की धारा 11 द्वारा (6-2-2003 से) प्रतिस्थापित।

<sup>8</sup> 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 2 द्वारा (15-2-1984 से) खंड (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

- (5) “न्यायालय” से वह व्यक्ति या वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके समक्ष विधिक कार्यवाही होती है या की जाती है;
- (6) “न्यायाधीश” से किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अभिप्रेत है;
- (7) “विचारण” से न्यायालय के समक्ष कोई ऐसी सुनवाई अभिप्रेत है जिसमें साक्ष्य लिया जाता है; और
- <sup>1</sup>[(8) “प्रमाणित प्रतिलिपि” से अभिप्रेत है जब किसी बैंक की बहियां,—

(क) लिखित रूप में रखी जाती हैं, ऐसी बहियों में की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, जिसके अधोभाग में लिखित प्रमाणपत्र हो कि वह ऐसी प्रविष्टि की सही प्रतिलिपि है कि ऐसी प्रविष्टि उस बैंक की मामूली बहियों में से किसी एक में दर्ज है और कारबार के प्रायिक और मामूली अनुक्रम में की गई थी, और ऐसी बही बैंक की अभिरक्षा में अब भी है, और जहां प्रतिलिपि ऐसी किसी यांत्रिक या अन्य प्रक्रिया द्वारा अभिप्राप्त की गई थी, जो स्वयं प्रतिलिपि की शुद्धता सुनिश्चित करती है, वहां, उस आशय का एक और प्रमाणपत्र हो, किन्तु जहां वह बही, जिससे ऐसी प्रतिलिपि तैयार की गई थी, बैंक के कारबार के प्रायिक अनुक्रम में उस तारीख के पश्चात्, जिसको वह प्रतिलिपि इस प्रकार तैयार की गई थी, नष्ट कर दी गई है वहां, उस आशय का एक और प्रमाणपत्र हो तथा ऐसा प्रत्येक प्रमाणपत्र बैंक के प्रधान लेखापाल या प्रबंधक द्वारा तारीख डाल कर अपने नाम और पदाभिधान से हस्ताक्षरित होगा; और

(ख) किसी फ्लॉपी, डिस्क, टेप या किसी अन्य इलेक्ट्रो-चुम्बकीय डाटा भण्डारण युक्ति में भंडारित डाटा के प्रिंट आउट हों, तब ऐसी प्रविष्टि का प्रिंट आउट या ऐसे प्रिंट आउट की प्रतिलिपि, जिसमें धारा 2क के उपबंधों के अनुसार प्रमाणित कथन हों;]

<sup>2</sup>[(ग) किसी माइक्रोफिल्म, चुंबकीय टेप या यांत्रिक या इलैक्ट्रानिक डाटा पुनःप्राप्ति तंत्र के किसी अन्य रूप में भंडारित बैंक की बहियों में किसी प्रविष्टि का ऐसी किसी यांत्रिक या अन्य प्रक्रिया द्वारा अभिप्राप्त प्रिन्टआउट, जो स्वयं ऐसी प्रविष्टि की प्रति के रूप में ऐसे प्रिन्टआउट की यथार्थता को सुनिश्चित करती है, और ऐसे प्रिन्टआउट में धारा 2क के उपबंधों के अनुसार एक प्रमाणपत्र है।]

<sup>3</sup>2क. प्रिंट आउट संबंधी शर्तें—धारा 2 की उपधारा (8) में निर्दिष्ट प्रविष्टि के प्रिंट आउट या प्रिंट आउट की प्रतिलिपि में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात् :—

(क) प्रधान लेखापाल या शाखा प्रबंधक द्वारा इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि यह ऐसी प्रविष्टि का प्रिंट आउट या प्रिंट आउट की प्रतिलिपि है; और

(ख) कंप्यूटर प्रणाली के भारसाधक किसी व्यक्ति द्वारा एक प्रमाणपत्र जिसमें कंप्यूटर प्रणाली का संक्षिप्त वर्णन और निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी—

(अ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आंकड़ों की प्रविष्टि या किया गया कोई अन्य प्रचालन केवल प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, प्रणाली द्वारा अपनाए गए रक्षोपाय;

(आ) डाटा के अप्राधिकृत परिवर्तन को रोकने और उसका पता लगाने के लिए अपनाए गए रक्षोपाय;

(इ) उस डाटा को, जो प्रणाली की असफलता या किसी अन्य कारण से नष्ट हो गए हैं, पुनः प्राप्त करने के लिए उपलब्ध रक्षोपाय;

(ई) वह रीति, जिससे डाटा को किसी ले जाए जा सकने योग्य साधनों, जैसे फ्लॉपी, डिस्क, टेप या अन्य इलेक्ट्रो-चुम्बकीय डाटा भण्डारण युक्तियों में प्रणाली से अंतरित किया जाता है;

(उ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि डाटा को ऐसे ले जाए जा सकने योग्य साधनों में सही रूप में अंतरित कर दिया गया है, सत्यापन का ढंग;

(ऊ) ऐसी डाटा भंडारण युक्तियों की पहचान का ढंग;

(ए) ऐसी भंडारण युक्तियों के भंडारण और अभिरक्षा के इंतजाम;

(ऐ) प्रणाली में किसी गड़बड़ी का निवारण और पता लगाने के लिए रक्षोपाय; और

(ओ) कोई अन्य बात, जो प्रणाली की विश्वसनीयता और सत्यता को प्रमाणित करेगी;

<sup>1</sup> 2000 के अधिनियम सं० 21 की धारा 93 और अनुसूची द्वारा (17-10-2000 से) प्रतिस्थापित।

<sup>2</sup> 2002 के अधिनियम सं० 55 की धारा 11 द्वारा (6-2-2003 से) अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> 2000 के अधिनियम सं० 21 की धारा 93 और अनुसूची द्वारा (17-10-2000 से) अंतःस्थापित।

(ग) कंप्यूटर प्रणाली के भारसाधक व्यक्ति से इस आशय का एक और प्रमाणपत्र कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार तात्त्विक समय पर कंप्यूटर प्रणाली का समुचित रूप से प्रचालन किया गया था और उसे सभी सुसंगत डाटा उपलब्ध कराए गए थे तथा प्रश्नगत प्रिंट आउट, सुसंगत डाटा का सही रूपण है या समुचित रूप से उससे व्युत्पन्न है।]

**3. अधिनियम के उपबंधों को विस्तारित करने की शक्ति**—राज्य सरकार, समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों का विस्तार अपने प्रशासनाधीन राज्यक्षेत्रों में बैंककार का कारबार करने वाली और कम से कम तीन मामूली लेखाबहियों, अर्थात् रोकड़-बही, दैनिक-बही, या रोजनामचा और बहीखाते का एक सैट रखने वाली किसी भागीदारी या व्यष्टि की बहियों पर कर सकेगी, तथा उसी रीति से किसी ऐसी अधिसूचना को विखंडित कर सकेगी।

**4. बैंककार बहियों में प्रविष्टियों के सबूत की रीति**—इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, किसी बैंककार बही में की किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि, सब विधिक कार्यवाहियों में, ऐसी प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथमदृष्ट्या साध्य के रूप में ली जाएगी, और उसमें अभिलिखित विषयों, संव्यवहारों और लेखाओं के साध्य के रूप में हर मामले में वहां तक और उस विस्तार तक ग्रहण की जाएगी जहां तक और जिस तक स्वयं मूल प्रविष्टि अब विधि द्वारा ग्राह्य है किन्तु उससे आगे या अन्यथा नहीं।

**5. मामला जिसमें बैंक का अधिकारी बहियां पेश करने के लिए विवश नहीं किया जा सकेगा**—किसी बैंक का कोई अधिकारी, किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में जिसमें वह बैंक पक्षकार न हो, किसी बैंककार बही को जिसकी अंतर्वस्तुएं इस अधिनियम के अधीन साबित की जा सकती हैं, पेश करने के लिए या उसमें अभिलिखित विषयों, संव्यवहारों और लेखाओं को साबित करने के लिए साक्षी के रूप में हाजिर होने के लिए विविध नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय या न्यायाधीश विशेष कारण के लिए आदेश न करे।

**6. न्यायालय या न्यायाधीश के आदेश से बहियों का निरीक्षण**—(1) किसी विधिक कार्यवाही में किसी पक्षकार के आवेदन पर न्यायालय या न्यायाधीश आदेश दे सकेगा कि ऐसा पक्षकार ऐसी कार्यवाही के प्रयोजनों में से किसी के लिए बैंककार बही की किन्हीं प्रविष्टियों का निरीक्षण करने और उनकी प्रतिलिपियां लेने के लिए स्वतंत्र होगा अथवा उस बैंक को आदेश दे सकेगा कि वह उस आदेश में विनिर्दिष्ट समय के अंदर ऐसी सब प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतिलिपियां से अतिरिक्त प्रमाणपत्र के सहित तैयार करे और पेश करे कि ऐसी कार्यवाही में विवाद विषयों से सुसंगत कोई अन्य प्रविष्टियां उस बैंक की बहियों में नहीं हैं, और ऐसा अतिरिक्त प्रमाणपत्र प्रमाणित तथ्यों के संबंध में इससे पूर्व निर्दिष्ट रीति से दिनांकित और हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) इस या पूर्वगामी धारा के अधीन आदेश, बैंक को समन करके या समन किए बिना किया जा सकेगा और बैंक पर उसकी तामील उससे (बैंक अवकाश दिनों का अपवर्जन करके) तीन पूर्ण दिन पहले की जाएगी जब उसका पालन किया जाना है जब तक कि न्यायालय या न्यायाधीश अन्यथा निर्दिष्ट न करे।

(3) यथापूर्वोक्त किसी आदेश के पालन के लिए सीमित समय के पूर्व किसी समय बैंक या तो विचारण पर अपनी बहियां पेश करने की सहमति प्रकट कर सकेगा या ऐसे आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने के अपने आशय की सूचना दे सकेगा और तब वह अतिरिक्त आदेश के बिना प्रवर्तित नहीं किया जाएगा।

**7. खर्च**—(1) इस अधिनियम के अधीन या प्रयोजनों के लिए न्यायालय या न्यायाधीश को किए गए किसी आवेदन के खर्च और इस अधिनियम के अधीन या प्रयोजनों के लिए न्यायालय या न्यायाधीश के किसी आदेश के अधीन की गई या की जाने वाली किसी बात के खर्च न्यायालय या न्यायाधीश के विवेकाधीन होंगे जो ऐसे खर्चों या उनके किसी भाग का किसी पक्षकार को बैंक द्वारा संदाय करने का अतिरिक्त आदेश दे सकेगा यदि वे बैंक की ओर से किसी त्रुटि या अनुचित विलम्ब के फलस्वरूप हुए हों।

(2) बैंक को या उसके द्वारा खर्च के संदाय के लिए इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश ऐसे प्रवृत्त किया जा सकेगा मानो वह बैंक उस कार्यवाही में पक्षकार रहा हो।

(3) इस धारा के अधीन किया गया खर्च दिलाने वाला कोई आदेश उस आदेश में पदाभिहित किसी सिविल न्यायालय को आवेदन पर ऐसे न्यायालय द्वारा इस प्रकार निष्पादित किया जा सकेगा मानो वह आदेश स्वयं उसके द्वारा पारित धन के लिए डिक्ली हो :

परंतु इस उपधारा की किसी बात का ऐसा अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसी शक्ति का अल्पीकरण करती है जो उस आदेश को करने वाले न्यायालय या न्यायाधीश को खर्च के संदाय के संबंध में अपने निदेशों के प्रवर्तन के लिए प्राप्त हो।

**1[8. न्यायालय के आदेश का अर्थ विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा किए गए आदेश के रूप में लगाया जाना**—धारा 2 के खंड (4) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट किसी अन्वेषण या जांच को धारा 5, धारा 6 और धारा 7 के लागू होने में उक्त धाराओं में निर्दिष्ट किसी न्यायालय या किसी न्यायाधीश के आदेश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसी पंक्ति के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का नहीं है और जो समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, किए गए किसी आदेश के प्रति निर्देश करता है।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा में, “समुचित सरकार” से ऐसी सरकार अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अन्वेषण या जांच करने वाला पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति नियोजित किया जाता है।]

<sup>1</sup> 1984 के अधिनियम सं० 1 की धारा 2 द्वारा (15-2-1984 से) अंतःस्थापित।